



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012023-243288
CG-DL-E-30012023-243288

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944

No. 59]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/MAGHA 10, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 64(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनोविकार चिकित्सा, कांके, रांची, कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेदन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है)/ आमेदन: (क)(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (vi) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद में और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: आमेलन केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र के अधिकारियों की दशा में किया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. ए.12018/56/2017-एमई]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2023

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Junior Translator (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Translation Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Junior Translation Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**— No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translation Officer.	01* (2023) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-gazetted, Non-ministerial.	Level-6 (Rs. 35400 – 112400/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)/ absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/absorption: Officials under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory Organisation— a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or (iv) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or (v) Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (vi) recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications. Note 2: Absorption can be made only in the case of officers from the Central Government or State Government or Union Territories.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/56/2017-ME]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.